झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

तृतीय झारखण्ड विधान– सभा

द्वादश– सत्र

वर्ग– 01

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न, सोमवार, दिनांक– 25 अग्रहायण, 1935 [श0] / 16 दिसम्बर, 2013 [ई0] को

झारखण्ड विधान– सभा के आदेश– पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्रमांक–	विभागों को भेजी गई सा0 संख्या	सदस्य का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01.	02.	03.	04.	05.	06
01– उ० संलग्न	ग– 08	श्री रामदास सोरेन	प्रतिवेदन को लागू करना	गृह	09.12.2013
02– उ० संलग्न	ग– 13	श्री चन्द्रिका महथा	पुलिस उपाधीक्षक का पदस्थापन।	गृह	09.12.2013
03– उ० संलग्न	ग– 09	श्रीमती विमला प्रधान	पुलिस चौकी की स्थापना	गृह	09.12.2013
04– उ० संलग्न	य– 01	श्री अकिल अख्तर	योजनाओं का चयन	योजना एवं विकास	09.12.2013
05– उ० संलग्न	का– 05	श्री समरेश सिंह	तकनीकी विभागों में नियुक्ति	कार्मिक	09.12.2013
06– उ० संलग्न	का– 03	श्री हेमलाल मुर्मू	स्थानीय निवासियों की नियुक्ति	कार्मिक	09.12.2013
07– उ० संलग्न	का– 02	श्री लक्ष्मण गिलुवा	पदाधिकारियों का पदस्थापन	कार्मिक	09.12.2013

(कृ0 पृ0 उ0)

01.	02.	03.	04.	05.	06
08— उ० संलग्न	का— 04	श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन	सेवा की गारंटी निर्धारित करना।	कार्मिक	09.12.2013
09— उ० संलग्न	ग— 04	श्री अरूप चटर्जी	आश्रित को नौकरी देना	गृह	09.12.2013
10— उ० संलग्न	वि0— 02	श्री रामदास सोरेन	वेतनराशि की वसूली	वित्त	09.12.2013
11— उ० संलग्न	ग— 03	श्री लक्ष्मण गिलुवा	पुलिस चौकी की पुर्नस्थापना	गृह	09.12.2013
12— उ० संलग्न	टन—10	श्री हरिकृष्ण सिंह	राशि का आवंटन	पर्यटन	09.12.2013
13— उ० संलग्न	वि0— 03	श्रीमती विमला प्रधान	वाणिज्यकर कार्यालय खोलना।	वित्त वाणिज्यकर	09.12.2013
14— उ० संलग्न	ग— 01	श्री अरूप चटर्जी	दफादार, चौकीदारों का पदस्थापना।	गृह	09.12.2013
15— उ० संलग्न	ग— 06	श्री हेमलाल मुर्मू	पुलिस केन्द्र का निर्माण	गृह	09.12.2013
16— उ० संलग्न	ग— 07	श्री निर्भय कु0 शाहाबादी	वेतनराशि की वसूली	गृह	09.12.2013
17— उ० संलग्न	ग—12	श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन	थाना का निर्माण	गृह	09.12.2013
18— उ० संलग्न	टन— 02	श्री मिस्त्री सोरेन	रेस्ट हाऊस का निर्माण	पर्यटन	06.12.2013
19— उ० संलग्न	टन— 06	श्री विदेश सिंह	पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करना।	पर्यटन	09.12.2013
20— उ० संलग्न	ग— 10	श्री माधवलाल सिंह	आश्रितों को नौकरी और मुवावजा देना।	गृह	09.12.2013
21— उ० संलग्न	का— 07	श्री अरविन्द कु0 सिंह	चाण्डिल अनुमंडल का विकास।	कार्मिक	09.12.2013
22— उ० संलग्न	टन— 07	श्री अरूण मंडल	पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करना।	पर्यटन	09.12.2013
23— उ० संलग्न	ग— 11	श्री संजय कु0 सिंह यादव	उपकारा का निर्माण	गृह	09.12.2013
24— उ० संलग्न	ग— 14	श्री निर्भय कु0 शाहाबादी	निगरानी ब्यूरो का कार्यालय खोलना।	गृह	09.12.2013

(कृ0 पृ0 उ0)

01.	02.	03.	04.	05.	06
25— उ० संलग्न	टन— 08	श्री विष्णु प्रसाद भैया	मंदिर को विकसित एवं सौन्दर्यीकरण करना।	पर्यटन	09.12.2013
26— उ० संलग्न	टन— 03	श्री अरूण मंडल	पूजा स्थल का सौन्दर्यीकरण	पर्यटन	09.12.2013
27— उ० संलग्न	टन— 04	श्री पौलुस सुरीन	पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना।	पर्यटन	09.12.2013
28— उ० संलग्न	ग— 05	श्री बन्ना गुप्ता	चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना।	गृह	09.12.2013
29—	टन— 05	श्री निजामुद्दीन अंसारी	पहुँच पथ का निर्माण	पर्यटन	09.12.2013
30— उ० संलग्न	वि0— 01	श्री बन्ना गुप्ता	ऋण उपलब्ध कराना	सांस्थिक वित्त	09.12.2013
31— उ० संलग्न	का— 01	श्री सत्यानन्द झा	अनुसूचित जाति का दर्जा देना।	कार्मिक	06.12.2013
32—	टन— 09	श्री अरविन्द कु0 सिंह	पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना।	पर्यटन	09.12.2013
33— उ० संलग्न	टन— 01	श्री गुरूचरण नायक	पर्यटन भवन का निर्माण	पर्यटन	06.12.2013
34— उ० संलग्न	का— 06	श्री कमलेश उराँव	पदाधिकारियों का पदस्थापन	कार्मिक	09.12.2013
35— उ० संलग्न	ग— 02	श्री उमाशंकर अकेला	थाना प्रभारी पर कार्रवाई	गृह	09.12.2013
36— उ० संलग्न	ग— 15	श्री नवीन जयसवाल	गृह रक्षकों का नियोजन	गृह	09.12.2013
37— उ० संलग्न	य— 02	श्री कमलेश उराँव	योजना बनाने पर विचार	योजना एवं विकास	09.12.2013

राँची,
दिनांक— 16 दिसम्बर, 2013 ई0।

सुशील कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

(कृ0 पृ0 उ0)

ज्ञापांक— झा0वि0स0(प्रश्न)—03/07.....613...../वि0स0, रांची, दिनांक— 13.12.13

प्रतिः— झारखण्ड विधान—सभा के माननीय सदस्यगण/ मुख्यमंत्री/ मंत्रिगण/नेता प्रतिपक्ष/ मुख्य सचिव तथा राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/12/13

(कमलेश कुमार दीक्षित)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान—सभा, रॉची।

ज्ञापांक— झा0वि0स0(प्रश्न)—03/07.....613...../वि0स0, रांची, दिनांक— 13.12.13

प्रतिः— माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/निजी सहायक, सचिवीय कार्यालय को माननीय अध्यक्ष महोदय/प्रभारी सचिव महोदय एवं प्रश्न के अपर सचिव, संयुक्त सचिव एवं उप सचिव को क्रमशः सूचनार्थ प्रेषित।

13/12/13

उप सचिव,
झारखण्ड विधान—सभा, रॉची।

12.12.13

सुभाष

(1)

श्री रामदास सोरेन, माननीय स0वि0स0 द्वारा दि0 16.12.2013 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–ग–08 का प्रश्नोत्तर –

	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2007 में गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने श्री ए0के0 बसु, तत्कालीन मुख्य सचिव, झारखंड को विधि आयोग की 197वाँ प्रतिवेदन उपलब्ध कराई गई थी?	स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड– (1) में वर्णित प्रतिवेदन के आलोक में सरकार को सभी व्यवहार न्यायालयों में लोक अभियोजक एवं अपर लोक अभियोजकों की नियुक्ति तथा अभियोजन सेवा संवर्ग के सहायक लोक अभियोजकों को प्रोन्नति का प्रावधान निर्धारित है?	अस्वीकारात्मक है। झारखंड सरकार द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधित) अधिनियम की धारा 24 (6) के प्रावधान के तहत सहायक लोक अभियोजक के नियमित संवर्ग से अपर लोक अभियोजक एवं लोक अभियोजक के पर प्रोन्नति के प्रावधान के आलोक में प्रोन्नति का प्रावधान झारखंड अभियोजन सेवा नियमावली 2011 में किया गया है एवं इसी के आलोक में 101 सहायक लोक अभियोजकों को 2012 में नियमित प्रोन्नति दी गई है।
3	क्या यह बात सही है कि खण्ड– (1) में वर्णित प्रतिवेदन का उल्लंघन कर राज्य में अधिवक्ता वर्ग से लोक अभियोजक की नियुक्ति लंबित रख कर अभियोजन सेवा संवर्ग के 101 सहायक लोक अभियोजकों को प्रोन्नति दी गई है ?	कंडिका 2 के आलोक में अस्वीकारात्मक।
4	यदि उपरोक्त खण्डों के उतर स्वीकारात्मक है तो क्या राज्य सरकार उक्त मामलों की गम्भीरतापूर्वक जाँच कराकर खण्ड– (1) में वर्णित प्रतिवेदन को अन्य राज्यों के तर्ज पर झारखंड में भी लागू का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो, क्यों ?	कंडिका 2 के आलोक में प्रश्न ही नहीं उठता है।

झारखण्ड सरकार,
गृह विभाग।

ज्ञापांक–06 / वि0स0–07 / 01 / 2013–4642 / राँची, दिनांक 14/12/2013 ई0.

प्रतिलिपि– 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा के ज्ञापांक– 395, दि0 09.12.13 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/12/13

सरकार के उप सचिव।

(2)

श्री चन्द्रिका महथा, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–16.12.2013 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०–ग–13 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला के जमुआ प्रखण्ड में पुलिस उपाधीक्षक का कार्यालय पुर्व में स्थापित था, जहाँ से पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था का संधारण एवं अनुसंधान कार्य करते थे ;	उत्तर अस्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि जमुआ में पुर्व की भाँति पुलिस उपाधीक्षक का पुर्ण रूप से पदस्थापन करते हुए इनके लिए कार्यालय भी स्थापित करने से विधि व्यवस्था उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में हमेशा दुरूस्त रहेगी एवं केश के अनुसंधान में भी गति आयेगी ;	गिरिडीह जिलान्तर्गत पुलिस उपाधीक्षक के तीन (3) पद स्वीकृत है यथा पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय प्रथम (2) पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय द्वितीय (3) अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गिरिडीह उक्त तीनों पद प्रशासनिक दृष्टिकोण से पर्याप्त है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जमुआ में पूर्व की भाँति पुलिस उपाधीक्षक का पदस्थापन करते हुए कार्यालय स्थापित करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	वर्त्तमान में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, गिरिडीह द्वारा जमुआ अंचल, सरिया अंचल एवं गाँवा अंचल के अंतर्गत पड़ने वाले थाना क्षेत्रों के अपराध नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था से संबंधित कार्यो का सम्पादन किया जाता है। नक्सली अभियान के कार्य हेतु अपर पुलिस अधीक्षक (अभियान) के स्तर के पदाधिकारी का पद सृजित है। जिसके विरूद्ध अपर पुलिस अधीक्षक (अभियान) पदस्थापित एवं कार्यरत है।

झारखण्ड सरकार,
गृह विभाग।

ज्ञापांक–12/वि०स०–1002/2013...7350/... राँची, दिनांक–15/12/2013 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/12/13

सरकार के उप सचिव।

(3)

श्रीमती विमला प्रधान, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–16.12.2013 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०–ग–09 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि सिमडेगा जिला के कुरडेग प्रखण्ड का सीमा छत्तीसगढ़ एवं उड़िसा के बार्डर से सटा है तथा क्या यह उग्रवाद से ग्रसित है ;	स्वीकारात्मक
2	क्या यह बात सही है कि सिमडेगा जिला अंतर्गत कुटमा कच्छार का बार्डर छत्तीसगढ़ से तथा गडियाजोर का उड़िसा बार्डर से मिलती है ;	स्वीकारात्मक
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त बार्डर क्षेत्र में पुलिस चौकी बनवाना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची, उपायुक्त सिमडेगा एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक से प्रतिवेदन की मांग की गई है। प्रतिवेदन प्राप्त होने पर विचार किया जा सकता है।

झारखण्ड सरकार,
गृह विभाग।

ज्ञापांक–16/वि०स०–10/2013-7353/ राँची, दिनांक–15/12/2013 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/12/13
सरकार के उप सचिव।

(4)

श्री अकील अख्तर, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 16.12.2013 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–य–1 की उत्तर सामग्रीः–

क0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में योजनाओं का चयन करने तथा वार्षिक योजना आलेख तैयार करते समय जरूरत के हिसाब से योजनाएँ तैयार नहीं की जाती है परिणामतः विकास का क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ जाता है अथवा ऐसी योजनाएँ छूट जाती है जो जनहित में अति आवश्यक है ?	अस्वीकारात्मक। वस्तुतः वार्षिक योजना आलेख तैयार करते समय योजना आयोग, भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देश पर योजना एवं विकास विभाग द्वारा विकास आयुक्त के माध्यम से सभी विभागों को दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं, जिसमें यह अंकित रहता है कि District Sector Plan जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं (जिला परिषद) तथा नगरीय निकायों से तैयार कराया जाना है। विभिन्न प्रशासी विभागों के द्वारा क्षेत्रीय एवं स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाओं का चयन राज्य के मंत्री की अध्यक्षता में जिलास्तर पर गठित जिला योजना समिति, जिसके सदस्य जिले के सभी माननीय सांसद एवं विधायक होते हैं, से अनुमोदन कराकर प्रस्ताव दिये जाने की प्रकिया है। वैसे कार्य जो Article-273 तथा 274 के परिधि से बाहर है वे राज्य योजना के रूप में जाने जायेंगे और इस खण्ड का विभागीय आलेख राज्य स्तर पर प्रशासी विभाग द्वारा तैयार किया जाना है। तत्पश्चात् विभागीय योजना पर विचार विमर्श हेतु विकास आयुक्त के स्तर पर बैठक आयोजित की जाती है, जिसमें राज्य के वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए विभागवार राशि का कर्णांकण विभिन्न योजनाओं के लिए किया जाता है।
2.	क्या यह बात सही है कि वार्षिक योजना आलेख तैयार करते समय तथा प्रत्येक विभाग द्वारा सी0ओ0बी0टी0 समर्पित करने के पूर्व जन प्रतिनिधियों से क्षेत्र के विकास से संबंधित योजनाओं के संबंध में विचार नहीं किये जाते हैं ?	अस्वीकारात्मक। जिला स्तर पर उपायुक्तों द्वारा समय–समय पर जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करके उनके भावनाओं के अनुरूप योजनाएँ चयनित किये जाने की प्रकिया है। क्षेत्र से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर विभागों द्वारा विभागीय स्तर पर सी0ओ0बी0टी0 तैयार किये जाने की प्रकिया है।
3.	क्या यह बात सही है कि प्रत्येक विभाग द्वारा सी0ओ0बी0टी0 समर्पित किये जाने के पूर्व जन भावनाओं का ख्याल करते हुए जन प्रतिनिधियों के अनुशंसा पर भी समुचित ध्यान नहीं दिया जाता है ?	अस्वीकारात्मक। कंडिका–1 में प्रकिया वर्णित है।

4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वार्षिक योजना आलेख तैयार करते समय तथा प्रत्येक विभाग द्वारा सी0ओ0बी0टी0 समर्पित करने से पूर्व जन प्रतिनिधियों से विचार लेना सुनिश्चित करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–1 में वर्णित प्रकिया के अनुसार वर्ष 2014–15 के लिए योजना आलेख तैयार करने की कार्रवाई प्रकियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
योजना एवं विकास विभाग

ज्ञापांक– 1859 **रॉची, दिनांक** 15/12/13

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, रॉची को उनके ज्ञाप सं0–378 दिनांक 09.12.2013 के आलोक में 200 (फोटो प्रति) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15/12/13

सरकार के संयुक्त सचिव

(05)

माननीय स०वि०स० श्री समरेश सिंह द्वारा दिनांक 16.12.2013 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–का–05 का उत्तर।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है झारखण्ड बनने के 13 वर्षों के पश्चात् झारखण्ड में अभी तक सेरिकल्चर संवर्ग, उद्योग सेवा संवर्ग, कृषि एवं वन सेवा संवर्ग +2 व्यावसायिक शिक्षा संवर्ग में एक भी नियुक्ति नहीं हो पाई है ;	स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि नियुक्ति के अभाव में उपरोक्त विषयों से संबंधित अनेकों तकनीकी छात्रों की नियुक्ति हेतु अधिकतम उम्रसीमा भी समाप्त हो जाने की संभावना है;	स्वीकारात्मक है।
3.	क्या यह बात भी सही है कि बिहार सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार के पत्र संख्या–3/एम.–90/2005 का–212, दिनांक –23.01.2006 द्वारा जारी आदेश के तहत उम्रसीमा से अधिक उम्र के उम्मीदवार को भी विज्ञापन के लिए सुपात्र बताते हुए ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा में भाग लेने का अवसर देने हेतु वी०पी०एस०सी० को निर्देशित किया है;	यह विषय बिहार सरकार से संबंधित है।
4.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बिहार सरकार की तरह झारखण्ड के उपरोक्त तकनीकी विभागों में विलंब से होनेवाली नियुक्ति में 13 वर्षों की छूट देने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	इस संबंध में संबंधित विभागों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर इस पर विचार किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–15/झा०वि०स०–15–09/2013 का०–1073 राँची, दिनांक– 14/12/13

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–387, दिनांक 09.12.2013 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/12/13

(यतीन्द्र प्रसाद)

सरकार के उप सचिव।

(06)

माननीय स०वि०स० श्री हेमलाल मुर्मू द्वारा दिनांक 16.12.2013 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–का–03 का उत्तर।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली प्रशासी पदवर्ग समिति की सम्पन्न बैठक में सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि चालक सहित कई विभागों के चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों का अवकाश प्राप्त होने के बाद उक्त रिक्त पद के रिक्त होने पर नये पद का सृजन नहीं होगा और रिक्त पदों पर नई नियुक्ति आउट सोर्सिंग के माध्यम से करने का फैसला लिया गया है ;	छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के द्वारा ग्रुप 'घ' के पदों पर नई नियुक्ति नहीं करने तथा ग्रुप 'घ' के पदों को समाप्त करने की अनुशंसा की गई है। केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा हु–ब–हु लागू करने हेतु राज्य कर्मियों के द्वारा भी माँग की जाती रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए दिनांक–11.11.2013 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित प्रशासी पदवर्ग समिति की बैठक में यह अनुशंसा की गई है कि सभी विभाग बाह्यश्रोत (आउट सोर्सिंग) से कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एनालिस्ट, आदेशपाल, चालक, सफाई कर्मी की सेवा बाह्यश्रोत (आउट सोर्सिंग) से प्राप्त करेंगे। उनके पद स्वीकृत नहीं समझे जायेंगे। लेकिन, सरकार के स्तर पर इस संबंध में कोई अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है।
2.	क्या यह बात सही है कि आउट सोर्सिंग के माध्यम से चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों की बहाली किये जाने के कारण राज्य के स्थानीय निवासियों को सरकारी नौकरी से वंचित किया जा सकता है और आउट सोर्सिंग कार्य करने वाले ठेकेदार श्रमिकों का आर्थिक शोषण करेंगे ;	इस संबंध में Outsourcing की guidelines बनाने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। सम्प्रति विभागवार बैकलॉग की रिक्तियों का संकलन किया जा रहा है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के स्थानीय निवासियों को सरकार के अधीन चतुर्थवर्गीय वर्ग के विभिन्न कोटि के रिक्त पदों पर रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए आउट सोर्सिंग के माध्यम से प्रस्तावित नियुक्ति प्रदान करने के फैसला को निरस्त करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	इस संबंध में अन्तिम निर्णय सरकार के स्तर पर नहीं लिया गया है। अतः इसे निरस्त करने का प्रश्न नहीं उठता है।

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–15/झा०वि०स०–15–11/2013 का. 12078/राँची, दिनांक– 14/12/13

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–388, दिनांक 09.12.2013 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/12/13

(यतीन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

9

(07)

श्री लक्ष्मण गिलुवा, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 16.12.2013 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या– 02 का प्रश्नोत्तर

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1.	क्या यह बात सही है कि जिला पश्चिमी सिंहभूम अन्तर्गत चक्रधरपुर अनुमण्डल में मेसो पदाधिकारी, एल0आर0डी0सी0 एवं ट्रेजरी ऑफिसर का पदस्थापन रिक्त कई सालों से नहीं हो पाया है, जिसके कारण चक्रधरपुर अनुमण्डल में विकास की गति बाधित हो रही है ;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक पदाधिकारी उपलब्ध नहीं रहने के कारण नियमित पदस्थापन नहीं हो सका है। परन्तु उपायुक्त द्वारा अस्थाई व्यवस्था के तहत् जिला में पदस्थापित पदाधिकारियों को प्रासंगिक पदों का प्रभार देकर कार्य कराया जा रहा है।
2.	यदि उपरोक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार चक्रधरपुर अनुमण्डल में पदाधिकारी के पदस्थापन करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	पदाधिकारी उपलब्ध होने पर चक्रधरपुर अनुमण्डल में प्रासंगिक रिक्त पदों पर पदस्थापन किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक– 2(3)/विधानसभा–09–07/2013 का॰ 1058 / राँची, दिनांक 14 दिसम्बर, 2013

प्रतिलिपि – उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं0– 391 वि.स. दिनांक 09.12.2013 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/12/13

(सरोज श्रीवास्तव)
सरकार के विशेष सचिव।

(08)

माननीय स0वि0स0 श्री ग्लेन जोसेफ गॉल्सस्टन के द्वारा दिनांक 16.12.2013 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–का–4 का उत्तर।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम के अंतर्गत 54 सेवाओं को प्रदान करने के लिए समय–सीमा निर्धारित है। मॉनिटरिंग के अभाव में नागरिकों को समय–सीमा के अधीन सेवायें नहीं मिल रही है।	झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम के अंतर्गत 54 सेवायें अभी अधिसूचित है। नियमावली में प्रावधानित कालावधि के अन्तर्गत सेवायें प्रदान करने के संदर्भ में विभाग स्तर पर दृढ़तापूर्वक मॉनिटरिंग की जाती है। प्रतिमाह उपायुक्तों से रिपोर्ट प्राप्त किये जाते हैं। सभी नामित जिला नोडल पदाधिकारियों को नियमावली के अनुरूप निश्चित समयावधि के अन्तर्गत सेवायें प्रदान कराना सुनिश्चित कराने हेतु समय–समय पर निदेश दिये जाते हैं तथा उनसे प्राप्त रिपोर्ट की विभाग स्तर पर समीक्षा की जाती है।
2	क्या यह बात सही है कि अधिनियम के तहत सेवा देने के लिए जवाबदेही पदाधिकारियों को भी निर्धारित किया गया है।	झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी नियमावली–2011 में एतद्सम्बन्धी प्रावधान किये गये हैं।
3	यदि उपरोक्त प्रश्न खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार सेवा की गारंटी निर्धारित समय–सीमाधीन कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कबतक नहीं तो क्यों ?	कंडिका–1 एवं 2 में अंकित उत्तर प्रासंगिक संदर्भ में स्वतः स्पष्ट है।

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–16/वि0स0प0–08–02/2013 का.–1206/ रांची, दिनांक 13 दिसम्बर, 2013

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–389, दिनांक 09.12.2013 के आलोक में 200 (दो सौ) प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/12/13
(सरोज श्रीवास्तव)
सरकार के विशेष सचिव।

(9)

श्री अरूप चटर्जी, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–16.12.2013 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०–ग–04 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिले के केरेडारी थाना अंतर्गत नक्सली उग्रवादियों द्वारा दिनांक–14.01.1995 को बुण्डू ग्राम निवासी सुरेन्द्र नाथ तिवारी एवं उनके पुत्र पंकज तिवारी तथा दूर्गपाल साव एवं उनके पुत्र रंजन किशोर एवं महाबीर साव तथा इनकी पत्नी प्यासो देवी की हत्या की गयी थी ;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त मृतक दूर्गपाल साव की विधवा उमा देवी की नियुक्ति गृह (विशेष) विभाग के पत्रांक–1715 सी०, दिनांक–08.08.1996 द्वारा चतुर्थवर्गीय पद पर की गयी है, परन्तु सुरेन्द्र नाथ तिवारी की आश्रित उर्मिला देवी की नौकरी हेतु कोई आदेश नही दिया गया है ;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
3	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त उर्मिला देवी की नियुक्ति हेतु उपायुक्त, हजारीबाग के पत्रांक–272/02.08.1998 को उप सचिव, गृह विभाग को पत्राचार तथा दिनांक–28 मई, 2001 द्वारा सचिव गृह विभाग, झारखण्ड को मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग के आप्त सचिव द्वारा किया गया ;	राज्य सरकार के संकल्प सं०–2279, दिनांक–07.05.2013 के अनुसार दिनांक–15.11.2000 अर्थात झारखण्ड राज्य निर्माण की तिथि के पश्चात् उग्रवादी हिंसा में मारे गये व्यक्तियों के आश्रितों को ही राज्य सरकार द्वारा अनुकम्पा के आधार पर सरकारी नौकरी देय है अर्थात इस मामले में झारखण्ड सरकार द्वारा कोई कार्रवाई अपेक्षित नही है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार सुरेन्द्र नाथ तिवारी की विधवा उर्मिला देवी को नौकरी देने का विचार रखती है, यादि हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	कंडिका 3 में दिये गये उत्तर के आलोक में प्रश्न नही उठता है।

झारखण्ड सरकार,
गृह विभाग।

ज्ञापांक–18/वि०स०–105/2013-7351/ राँची, दिनांक–15/12/2013 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15.12.13
सरकार के उप सचिव।

10

श्री रामदास सोरेन, स०वि०स० द्वारा दिनांक 16.12.2013 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं० वि०–02 के संबंध में।

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि श्री सुधाकर शर्मा, तत्कालीन सहायक निदेशक, अभियोजन निदेशालय, गृह विभाग को वर्ष–2008 से 2012 तक वेतन पर्ची निर्गत की गई है,	1. स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि गृह विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना–सह–ज्ञापांक 192 दिनांक 17.01.2008 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा श्री सुधाकर शर्मा को सदर कोर्ट, देवघर से स्थानान्तरित कर सहायक निदेशक, अभियोजन निदेशालय के पद पर पदस्थापित किया गया था। उक्त अधिसूचना के आधार पर उनके द्वारा प्रभार ग्रहण किया गया (छायाप्रति संलग्न)। साथ ही, श्री शर्मा द्वारा पत्रांक 561 दिनांक 14.02.2008 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग को वेतन पूर्जा निर्गत करने हेतु एक अनुरोध पत्र समर्पित किया गया था। उपरोक्त कागजातों के आधार पर ही नियमानुसार इनका वेतन पूर्जा निर्गत किया गया।
2. क्या यह बात सही है कि राज्य में वर्ष–2008 के मंत्रिमंडल के बैठक द्वारा गठित खण्ड–I में वर्णित निदेशालय में सहायक निदेशक का पद स्वीकृत नहीं था,	वस्तुस्थिति यह है कि गृह विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 1492 दिनांक 09 अप्रैल, 2008 (छायाप्रति संलग्न) की कंडिका–10 के अनुसार राज्य बँटवारा के पश्चात् पूर्ववर्त्ती बिहार राज्य से नवसृजित झारखण्ड राज्य को एकीकृत राज्य के अभियोजन तंत्र से सहायक निदेश का 01 (एक) पद प्राप्त है।

3. क्या यह बात सही है कि अस्वीकृत पद का वेतन पर्ची निर्गत करना घोर वित्तीय अनियमितता है,	3. अस्वीकारात्मक। वित्त विभाग के द्वारा प्रशासी विभाग (संबंधित मामले में गृह विभाग) से पदस्थापन एवं योगदान की स्वीकृति के अनुरूप अनुमान्य वेतन एवं भत्ते के लिए स्वीकृत पद पर ही वेतन पूर्जा निर्गत किया जाता है।
4. यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त मामले की गंभीरतापूर्वक जाँच कराकर दोषी पदाधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए श्री शर्मा, तत्कालीन सहायक निदेशक, अभियोजन से उक्त अवधि की वेतन राशि की वसूली का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	4. उक्त के क्रम में सरकार द्वारा स्थापित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुरूप कार्रवाई की गई है।

झारखण्ड सरकार
वित्त विभाग

ज्ञापांक : 5/पे०(4)–03/2013 ...693/वि०वि० रॉंची, दिनांक :...13/12/2013

प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची के ज्ञाप संख्या 380/वि०स० दिनांक 09.12.2013 के आलोक में उत्तर सामग्री 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.12.13

(अविनाश कुमार सिंह)
सरकार के उप सचिव।

(11)

श्री लक्ष्मण गिलुवा, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–16.12.2013 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०–ग–03 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पश्चिम सिंहभूम जिलान्तर्गत चक्रधरपुर शहरी क्षेत्र में 3 नं० पुलिस चौकी कई वर्षो से बंद है, जिस कारण उक्त क्षेत्र में आए दिन कोई न कोई वारदात होती रही है एवं उस क्षेत्र में जनता में भय का वातावरण है ;	चक्रधरपुर थाना अंतर्गत रेलवे कॉलोनी में बिजली सब स्टेशन ग्रीड के सामने में टी०ओ०पी० 03 रेलवे का क्वार्टर में पूर्व में संचालित होता था। वर्ष 2007 से रेलवे का क्वार्टर के ध्वस्त/टूट जाने से टी०ओ०पी० बंद हो गया। वर्त्तमान में उक्त क्वार्टर पूरी तरह से टूट चुका है। अपराध की स्थिति सामान्य है। विगत साढ़े चार वर्षो में कोई भी घटना जैसे लूट, डकैती, हत्या की घटना नही घटी है। टी०ओ०पी० 2 एवं चक्रधरपुर थाना से प्रत्येक दिन गश्ती/चेकिंग कराई जा रही है।
2	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार चक्रधरपुर शहरी क्षेत्र का पुलिस चौकी पुनः स्थापित करवाने का विचार रखती है, यादि हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	यदि रेलवे विभाग दक्षिण पूर्व रेलवे चक्रधरपुर के द्वारा रेलवे का क्वार्टर आवंटित करती है तो पुनः टी०ओ०पी० 3 को खोलने में जिला पुलिस को कोई आपत्ति नहीं है। पुलिस बल उपलब्ध है, टी०ओ०पी० 3 के लिए आवास/टी०ओ०पी० उपलब्ध कराने हेतु मंडल रेल प्रबंधक चक्रधरपुर से पूर्व में पत्राचार किया गया है तथा पुनः पत्राचार किया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार,
गृह विभाग।

ज्ञापांक–16/वि०स०–08/2013-7355/ राँची, दिनांक–15/12/2013 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/12/13

सरकार के उप सचिव।

(12)

श्री हरिकृष्ण सिंह, स०वि०स०, द्वारा दिनांक–16.12.2013 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–टन 10 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री पर्यटन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		मा० मंत्री, पर्यटन विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि लातेहार जिला अन्तर्गत मनिका के दुमुहान में स्थित प्राचीन शिव मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिये विभाग द्वारा एक करोड़ अड़तालीस लाख रूपया का प्रोजेक्ट बनाया गया है, जिसमें दस लाख रूपये की राशि आवंटित कर कुछ कार्य कराया गया हैं ;	1.	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि सक्षम स्तर से तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन आदि उपायुक्त लातेहार से माँगा गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि शेष राशि के अभाव में पर्यटन विकास का सारा कार्य बंद है ;	2.	सरकारी आश्वासन संख्या 74/2010 का कार्यान्वयन अनुपालन हेतु उपायुक्त लातेहार को प्रश्नाधीन स्थल हेतु वित्तीय वर्ष 2011–12 में कुल 10.00 लाख रूपये आवंटित किया गया है।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार शेष राशि का आवंटन कर वित्तीय वर्ष 2013–14 में करके शेष कार्य कराना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	3.	अनुमोदित प्राक्कलन के अभाव में तत्काल यह योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/13/2013.....1381...../राँची, दिनांक.....15.12.2013...../

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके पत्रांक 416/वि०स०, दिनांक 09/12/2013 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/12/13

सरकार के अवर सचिव
पर्यटन विभाग, झारखण्ड, राँची।

शर्मिष्ठा

(13)

श्रीमती विमला प्रधान, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 16.12.2013 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या– वि–03 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
श्रीमती विमला प्रधान, माननीय स0वि0स0	**श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, माननीय मंत्री (वाणिज्य–कर विभाग)**
1. क्या यह बात सही है कि सिमडेगा जिला बनने के 13 वर्षों बाद भी वाणिज्य–कर विभाग का कार्यालय नही है। इस जिला के लोगों को विभागीय कार्य हेतु गुमला जाना पड़ता है।	उत्तर–स्वीकारात्मक है।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त विभाग का कार्यालय सिमडेगा में खोलना चाहती है, यदि हॉ तो कब तक, नही तो क्यों ?	सिमडेगा जिले में निबंधित व्यवसायियों की संख्या मात्र 759 है। उक्त व्यवसायियों से वर्षवार निम्नवत् राजस्व की प्राप्ति हुई है :–

वर्ष	संग्रहित राजस्व।
2010–11	1.22 करोड़
2011–12	1.37 करोड़
2012–13	3.20 करोड़
2013–14	2.67 करोड़

(माह नवम्बर, 13 तक)

सिमडेगा जिले के व्यवसायियों से प्राप्त राजस्व एवं संभावित स्थापना व्यय को ध्यान में रखते हुए सम्प्रति सिमडेगा जिले में अलग से वाणिज्य–कर अंचल के गठन का कोई प्रस्ताव नही है।

झारखण्ड सरकार

वाणिज्य–कर विभाग

ज्ञापांक– वा0कर / वि0मं0 / 7 / 2013– 6097 /दिनांक– 13/12/13

प्रतिलिपि– **उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय,** राँची को उनके ज्ञाप संख्या–381 / वि0स0 दिनांक 09.12.2013 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.12.13

(डी0आर0दास)

अपर आयुक्त सह विशेष सचिव,

वाणिज्य–कर विभाग,

झारखण्ड, राँची।

(14)

श्री अरूप चटर्जी, स0वि0स0 के द्वारा दिनांक 16.12.2013 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–ग–01 की उत्तर सामग्री –

	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पुलिस दफादार चौकिदार का पदस्थापना राजस्व ग्राम में सेवा देने हेतु की जाती है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य के बहुत सारे पुलिस दफादार, चौकिदारों से थाना एवं सरकारी/अर्द्धसरकारी संस्थाओं में सेवा ली जाती है, जो नियमावली में नहीं हैं ;	अस्वीकारात्मक। इनकी सेवा ग्रामों में ही ली जाती है। साप्ताहिक परेड के लिए थाना में उपस्थित होते है।
3.	क्या यह बात सही है कि इनके ग्रामों में नहीं रहने से गाँवों की घटना की सही जानकारी पुलिस मुख्यालय को नहीं मिल पाती है ;	अस्वीकारात्मक।
4.	क्या यह बात सही है कि दफादार चौकिदारों का पोशाक कोड सरकार द्वारा तय है परंतु वह दफादार चौकिदार के पोशाक कोड के अनुसार पोशाक में देखे नहीं जाते हैं ;	अस्वीकारात्मक।
5.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार दफादार चौकिदारों को पोशाक कोड के साथ–साथ इनका पदस्थापन जनहित में राजस्व ग्राम में करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त खण्डों में उत्तर वर्णित है।

झारखण्ड सरकार
गृह विभाग।

ज्ञापांक–17/वि0स0–110/2013 7354 / राँची, दिनांक 15 दिसम्बर, 2013

प्रतिलिपि– 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र0–398/वि0स0 दिनांक 09.12.2013 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/12/13

सरकार के उप सचिव।

श्री हेमलाल मुर्मू, स०वि०स० के द्वारा दिनांक—16.12.2013 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०—ग—06 का उत्तर प्रतिवेदन :—

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के गोड्डा जिला के निर्माण के 30 व राज्य गठन के 13 वर्षो के बाद भी यहाँ पुलिस केन्द्र नही बन पाया है और वर्तमान में पुलिस केन्द्र सिकटिया के शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गुम्मा के जर्जर भवन में चल रहा है ;	स्वीकारात्मक
2	क्या यह बात सही है कि उक्त केन्द्र में रह रहे जवानों को बुनयादी सुविधा भी उपलब्ध नही है और पुलिस बल स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रही है ;	यह बात सही है कि जवानों को कतिपय बुनियादी सुविधाओं का अभाव है परन्तु पुलिस बल स्वयं को असुरक्षित महसूस करते है, यह सही नही है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या गोड्डा जिला में शीघ्र पुलिस केन्द्र निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	वर्त्तमान में लातेहार, लोहरदगा, गिरिडीह एवं कोडरमा जिले में पुलिस लाईन की योजना क्रियान्वित की जा रही है। आगामी वित्तीय वर्ष में राशि की उपलब्धता के आधार पर गोड्डा जिले में भी पुलिस लाईन का निर्माण योजना की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

झारखण्ड सरकार,
गृह विभाग।

ज्ञापांक—16 / वि०स०—11 / 2013 7356 / राँची, दिनांक— 15/12/2013 ई०।

प्रतिलिपि—200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/12/13

सरकार के उप सचिव।

श्री निर्भय कुमार शाहाबादी, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–16.12.2013 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०–ग–07 का उत्तर प्रविवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि श्रीमती चोन्हाती पन्ना, सेवा निवृत, संयुक्त सचिव वर्ष–2009 से विशेष कार्य पदाधिकारी के अस्वीकृत पद पर पदस्थापित रहते हुए वेतन का लाभ ले रही है ;	आंशिक स्वीकारात्मक है। वित्त विभाग के संकल्प सं०–4569, दिनांक–05.07.2002 के आलोक में सुश्री चोन्हाती पन्ना को दिनांक–01.02.2011 से अनुबंध पर नियोजित किया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित पदाधिकारी अनेक महत्वपूर्ण एवं नीतिगत निर्णयों से संबंधित संचिकाओं में अपना मंतव्य दे रही है जो विधि सम्मत नही है ;	सुश्री पन्ना अपने नियोजित पद, विशेष कार्य पदाधिकारी, के दायित्वों के निर्वाहन के क्रम में संचिकाएँ निष्पादित करती है जो पद के दायित्व के अनुकूल है।
3	क्या यह बात सही है कि अस्वीकृत पद का वेतन भुगतान करना घोर वित्तिय अनियमितता मानी जाएगी ;	कार्य दायित्व के निर्वहन के एवज में सुश्री पन्ना को अंतिम वेतन घटाव पेंशन के समतुल्य राशि नियत मानदेय का भुगतान किया जाता है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित पदाधिकारी द्वारा सभी संचिकाओं में सरकार के पक्ष में दिये गये मंतव्यों की गम्भीरता से जॉच कराकर सभी महत्वपूर्ण एवं नीतिगत निर्णयों पर पुर्नविचार करते हुए उक्त पदाधिकारी को अब तक वेतन मद में की राशि भुगतान की वसूली का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	उपरोक्त कण्डिका–3 के आलोक में प्रश्न ही नही उठता।

झारखण्ड सरकार,
गृह विभाग।

ज्ञापांक–1/स्था० वि०स०–01/2013 4644/ राँची, दिनांक–14/12/2013 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14.12.13

सरकार के उप सचिव।

(17)

श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–16.12.2013 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०–ग–12 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राँची जिला के चान्हो थाना अंतर्गत चामा में पुलिस पिकेट/थाना की स्थापना प्रशासनिक दृष्टिकोण से बहुत जरूरी है ;	अस्वीकारात्मक
2	क्या यह बात सही है कि चामा सी०सी०एल० के उत्तरी कर्णपूरा तथा पिपरवार क्षेत्र तथा विश्वविख्यात मैक्लुस्कीगंज जाने के रास्ते में स्थित है ;	स्वीकारात्मक
3	क्या चामा से चान्हों थाना की दूरी 15 कि०मी०, मैक्लुस्कीगंज थाना की दूरी 14 कि०मी०, बुढमू थाना की दूरी 15 कि०मी० एवं खलारी थाना की दूरी 10 कि०मी० है ;	स्वीकारात्मक
4	क्या वर्त्तमान में पुलिस पिकेट/थाना नही रहने से रास्ते से गुजरने वाले लोगो को असुरक्षित रूप से यात्रा करनी पड़ती है एवं आए दिन चोरी डकैती जैसी घटनाएँ घटती रहती है ;	चान्हो थाना एवं खलारी थाना स्तर से उक्त मार्ग पर गश्ती/पेट्रोलिंग कर सुरक्षा व्यवस्था हेतु निरंतर निगरानी रखी जाती है।
5	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जनहित तथा प्रशासनिक दृष्टिकोण से प्राथमिकता के आधार पर चामा में पुलिस पिकेट/थाना का निर्माण कराना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्ड–4 के उत्तर प्रतिवेदन के अनुसार सम्प्रति इस मार्ग पर पुलिस पिकेट/थाना निर्माण की आवश्यकता नही है।

झारखण्ड सरकार,
गृह विभाग।

ज्ञापांक–16/वि०स०–07/2013-7358/ राँची, दिनांक–15/12/2013 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15.12.13

सरकार के उप सचिव।

(18)

श्री मिस्त्री सोरेन, स०वि०स०, द्वारा दिनांक – 16.12.2013 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या – टन 02 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री पर्यटन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		मा० मंत्री, पर्यटन विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि पाकुड़ के प्रखण्ड महेशपुर स्थित पर्यटक स्थल केराछतर भौरी बाबा मंदिर के दर्शनार्थियों हेतु रेस्ट हाउस निर्माणाधीन है ;	1.	स्वीकारात्मक।
2.	यदि उपरोक्त खंड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार रेस्ट हाउस के निर्माण कार्य को चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में पूरा करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	2.	वस्तुस्थिति यह है कि उपायुक्त, पाकुड़ द्वारा पुनरीक्षित प्राक्कलन प्राप्त हुई है, जिसके आलोक में जिला अभियंता, जिला परिषद्, पाकुड़ से मापी पुस्त की अभिप्रमाणित छायाप्रति एवं प्रगति प्रतिवेदन माँगा गया है, जो अभी तक अप्राप्त है। अतः कागजात/प्रतिवेदन प्राप्त होते ही तद्नुसार अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/12/2013 1373 /राँची, दिनांक 14/12/13 /

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके पत्रांक 236/वि०स०, दिनांक 06/12/2013 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/12/13

सरकार के अवर सचिव
पर्यटन विभाग, झारखण्ड, राँची।

(19)

श्री विदेश सिंह, स०वि०स०, द्वारा दिनांक–16.12.2013 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–टन 06 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री पर्यटन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		मा० मंत्री, पर्यटन विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला के अन्तर्गत प्रखंड लेस्लीगंज में खैरांट एवं तरहसी प्रखण्ड में सिरिकदाल प्रचीन शिव मंदिर है, जहाँ प्रति वर्ष हजारों श्रद्धालु भक्त दर्शन के लिये आते हैं ;	1.	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तु स्थिति यह है कि – 1. लेस्लीगंज प्रखंड अन्तर्गत खैराट में वर्ष में दो वार मकर संक्रांति एवं शिव रात्रि के अवसर पर मेला लगता है, जिसमें श्रद्धालु आते हैं। 2. तरहसी प्रखण्ड में सिरिकदाल में प्रति वर्ष लगभग 10,000 स्थानीय/राज्यकीय भक्त दर्शन के लिये आते हैं।
2.	क्या यह बात सही है कि प्रश्नगत स्थल पर भक्तों के लिये सुविधाओं का घोर अभाव है, जिससे उन्हे परेशानी उत्पन्न होती है ;	2.	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराते हुए वर्णित स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	3.	उचित पहुँच पथ के अभाव में यह योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/15/2013...1376.../राँची, दिनांक...14/12/13.../

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके पत्रांक 386/वि०स०, दिनांक 09/12/2013 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/12/13

सरकार के अवर सचिव
पर्यटन विभाग, झारखण्ड, राँची।

2 प्रतिलिपि.

शर्मिष्ठा

(20)

श्री माधवलाल सिंह, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–16.12.2013 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०–ग–10 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिलान्तर्गत महुआटाँड़ थाना क्षेत्र के चौकीदार अर्जुन करमाली की हत्या 1999 में लोक सभा चुनाव के दौरान जीप बलास्ट में तीलक महतो झुमरा पहाड़ की हत्या 19.10.2010 को बुधन माँझी झुमरा पहाड़ की हत्या 13.01.2011 को उग्रवादियों द्वारा कर दी गई ;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित तीनों व्यक्ति के आश्रितों को आज तक सरकार की ओर से नौकरी तथा मुआवजा का भुगतान नही किया गया है ;	स्व० अर्जुन करमाली के पुत्र श्री भीम करमाली को चौकीदार के पद पर नियुक्ति हेतु उपायुक्त, बोकारो द्वारा अपने पत्रांक–43/सा०, दिनांक–15.01.2002 द्वारा निदेश दिया गया है, परन्तु श्री करमाली द्वारा योगदान नही दिया गया है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित उग्रवादी घटना में मारे गये अर्जुन करमाली, तीलक महतो तथा बुधन माँझी के आश्रितों को सरकारी नौकरी तथा मुआवजा का भुगतान करना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	स्व० तीलक महतो एवं स्व० बुधन मांझी से संबंधित अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति संबंधी कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। संदर्भित मामले में नौकरी एवं मुआवजा की कार्रवाई यथाशीघ्र की जायगी।

झारखण्ड सरकार,
गृह विभाग।

ज्ञापांक–18/वि०स०–104/2013-7352/ राँची, दिनांक–15/12/2013 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/12/13

सरकार के उप सचिव।

(21)

माननीय स०वि०स० श्री अरविन्द कुमार सिंह द्वारा दिनांक 16.12.2013 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–का०–07 का उत्तर।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि सरायकेला–खरसावाँ जिलान्तर्गत चांडिल प्रखण्ड को 2003–04 में अनुमंडल बनाया गया है ;	स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि 09 वर्ष बीत जाने के बाद भी चांडिल अनुमण्डल में आधारभूत संरचना नहीं हो पायी है ;	1. वर्त्तमान में अनुमण्डल कार्यालय का भवन लगभग पूर्ण हो गया है, जिसमें अनुमण्डल पदाधिकारी का कार्यालय एवं भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का कार्यालय संचालित है। अनुमण्डल कार्यालय के भवन के अवशेष कार्य को पूर्ण करने के लिए आवश्यक कार्रवाई विभाग द्वारा की जा रही है। 2. कोषागार कार्यालय के लिए नये भवन में स्थान चिन्हित कर दिया गया है। झारनेट की सुविधा उपलब्ध होते ही कार्यालय का कार्य प्रारंभ कर दिया जायेगा। 3. निबंधन कार्यालय के निर्माण के लिए विभागीय प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो गयी है। 4. अनुमण्डल कार्यालय की चारदीवारी एवं पहुँच पथ की योजना को सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। अनुमण्डल कार्यालय के कर्मियों के लिए सी टाईप आवास की स्वीकृति प्राप्त हो गयी है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वर्त्तमान चालू वित्तीय वर्ष में इसकी आधारशिला रख चांडिल अनुमण्डल का विकास करने विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–15 / झा०वि०स०–15–08 / 2013 का०–1277 राँची, दिनांक– 14/12/13

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–413, दिनांक 09.12.2013 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/12/13

(यतीन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

(22)

श्री अरूण मण्डल, स०वि०स०, द्वारा दिनांक–16.12.2013 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–टन 07 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री पर्यटन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		मा० मंत्री, पर्यटन विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज में उधवा प्रखण्ड स्थित उदयमुनी स्थल धार्मिक एवं पर्यटक स्थल है जहाँ हजारो लोग पूजा करते है ;	1. & 2.	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष में मात्र 1200 से 1500 की संख्या में श्रद्धालु पूजा करने आते हैं। पहुँच पथ भी अर्द्धकच्ची है।
2.	क्या यह बात सही है कि उदयमुनी स्थल के सेट सिराजुदोला तथा अंग्रेजों का ऐतिहासिक पुल, पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है ;		
3.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त स्थल को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने तथा धार्मिक स्थल का निर्माण तथा सौन्दर्यीकरण करने की विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	3.	अतः पर्यटकों की संख्या एवं पहुँच पथ को देखते हुए यह योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/18/2013 1377 /राँची, दिनांक 14/12/13 /

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके पत्रांक **385/वि०स०,** दिनांक **09/12/2013** के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/12/13

सरकार के अवर सचिव
पर्यटन विभाग, झारखण्ड, राँची।

शर्मिष्ठा

(23)

श्री संजय कुमार सिंह यादव, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–ग–11 का प्रश्नोत्तर –

	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पलामू जिलान्तर्गत हुसैनाबाद अनुमण्डल में उपकारा का निर्माण नहीं कराया गया है ?	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड– (1) में वर्णित उपकारा निर्माण हेतु हुसैनाबाद अंचल द्वारा देवरी मौजा में जमीन उपलब्ध करा दी गयी है?	अभी तक कारा निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध नही हो सकी है। भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
3	क्या यह बात सही है कि खण्ड– (1) में वर्णित उपकारा के अभाव में वर्त्तमान में 70 किलोमीटर पर स्थित जिला मुख्यालय कारा में कैदियों को लाना पड़ता है ?	उत्तर स्वीकारात्मक है।
4	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या राज्य सरकार पलामू जिलान्तर्गत हुसैनाबाद अनुमंडल स्थित देवरी में उपलब्ध करायी गयी भूमि पर उपकारा का निर्माण कराना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नही तो क्यों नहीं ?	सरकार पलामू जिलान्तर्गत हुसैनाबाद अनुमंडल स्थित उपकारा का निर्माण अविलम्ब कराना चाहती है। भूमि अनुपलब्धता के कारण कार्य प्रारंभ नही हो सका है। भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। भूमि उपलब्ध होते ही निर्माण प्रारंभ कर दी जाएगी।

झारखण्ड सरकार,
गृह विभाग।

ज्ञापांक–11/वि0स0–07/2013–7332/राँची, दिनांक 14/12/2013 ई0.

प्रतिलिपि– 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा के ज्ञापांक– 403, दि0 09.12.13 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/12/13

सरकार के उप सचिव।

(24)

श्री निर्भय कुमार शाहावादी, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 16.12.2013 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ता0–ग–14 की उत्तरसामग्री :–

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि वर्ष 2012 में राज्य के सभी प्रमंडलों में निगरानी ब्यूरो के कार्यालय खोलने की स्वीकृति दी गई थी ?	मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प सं0–759 दिनांक 26.06.09 के द्वारा राज्य के पाँचों राजस्व प्रमंडलीय मुख्यालयों यथा दक्षिण छोटानागपुर प्रमंडल, राँची, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग, संथालपरगना प्रमण्डल, दुमका, कोल्हान प्रमण्डल, सिंहभूम, चाईबासा, पलामू प्रमण्डल, मेदिनीनगर, डाल्टेनगंज में एक–एक निगरानी कोषांग गठित किये जाने एवं उक्त निर्मित आवश्यक पदों का सृजन करने का निर्णय लिया गया है। (संबंधित संकल्प की छाया प्रति संलग्न है)
2. क्या यह बात सहीं हैं कि खण्ड 01 में वर्णित कार्यालय हेतु सरकार स्वीकृति के पश्चात् अबतक कोई कार्रवाई नहीं की है ?	प्रमण्डलों में निगरानी ब्यूरो के कार्यालयों हेतु पदों का सृजन मंत्रिमण्डल (निगरानी) विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या–759 दिनांक 26.06.2009 के द्वारा की गई है। सभी क्षेत्रीय कार्यालय में पदाधिकारियों/ कर्मियो के पदस्थापन हेतु सरकार प्रयत्नशील है। मंत्रिमण्डल (निगरानी) विभाग के पत्रांक 1591(अनु0) दिनांक 02.11.13 की छाया प्रति संलग्न।
3. क्या यह बात सही है कि राज्य के सदूर ईलाको के लोगों को भ्रष्टाचार की शिकायतें रॉची स्थित निगरानी ब्यूरो के मुख्यालय में करने के लिए आने–जाने में आर्थिक, मानसिक एवं शारीरिक तीनों कठिाईयों का सामना करना पड़ता है ?	यह बात सही है कि राज्य के सुदूर ईलाकों के लोगो का भ्रष्टाचार की शिकायतें राँची स्थित निगरानी ब्यूरो के मुख्यालय में करने के लिए आने जाने में आर्थिक, मानसिक एवं शारीरिक तीनों कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, बिन्दु 2 में दर्शायी गयी रिक्तियों के कारण प्रमण्डलों में निगरानी कार्यालय खोलने की समस्या हो रही है। फिर भी निगरानी ब्यूरो में इस बात का पूरा–पूरा ख्याल रखा जाता है कि जो भी लोग/शिकायतकर्त्ता यहाँ शिकायत दर्ज करने आते है, उसपर त्वरित कार्रवाई हो और किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो।
4. यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जनहित में राज्य के सभी प्रमण्डलों में खण्ड 01 में वर्णित कार्यालय खोलने का विचार रखती है, यदि हॉ तो कबतक, नही तो क्यो?	सभी प्रमण्डलों में कार्यालय खोलने हेतु संकल्प संख्या–759 दिनांक 28.06.2009 द्वारा नीतिगत निर्णय लिया जा चुका है। कार्यालय को यथाशीघ्र कार्यरत करने हेतु सरकार प्रयत्नशील है।

झारखंड सरकार
मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग ।

ज्ञाप संख्याः **नि0वि0/विधान सभा–02/2013**...../रॉची, दिनांक...../

प्रतिलिपिः उप सचिव, गृह विभाग, झारखण्ड, राँची को उनके पत्रांक 7258 दिनांक 11.12.2013 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/–

सरकार के उप सचिव ।

ज्ञाप संख्याः **नि0वि0/विधान सभा–02/2013**...../रॉची, दिनांक...../

प्रतिलिपिः प्रभारी मंत्री, मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग, झारखंड, रॉची के आप्त सचिव/ निगरानी आयुक्त, झारखंड, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/–

सरकार के उप सचिव ।

ज्ञाप संख्याः **नि0वि0/विधान सभा–02/2013** 1849 (अनु0)/रॉची, दिनांक 14.12.2013/

प्रतिलिपिः उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0प्र0 412 दिनांक 09.12.2013 के प्रसंग में 200 प्रति के साथ सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

14/12/13

सरकार के उप सचिव ।

(25)

श्री विष्णु प्रसाद भैया, स०वि०स०, द्वारा दिनांक–16.12.2013 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–टन 08 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री पर्यटन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		मा० मंत्री, पर्यटन विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि जामताड़ा विधान सभा क्षेत्र के जामताड़ा–दुमका रोड के सिमुलबेरिया मौजा स्थित घोष बाँध पर बना सूर्य मन्दिर एक भव्य एवं दार्शनिक मन्दिर है, जहाँ हजारों की संख्या में लोग पहुँचकर छठ पूजा करते हैं। साथ ही अन्य दिन भी वहाँ काफी संख्या में लोग पहुँचते हैं ;	1.	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त मन्दिर में बना छठ–घाट (आशिंक) अत्यन्त ही सुन्दर है, किन्तु मूलभूत सुविधाएँ नहीं रहने के कारण उसका विकास नहीं हो पा रहा है ;	2.	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जामताड़ा विधान–सभा के घोष बाँध पर बना सूर्य मन्दिर को विकसित करते हुए सौन्दर्यीकरण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	3.	वर्तमान वित्तीय वर्ष में राशि उपलब्ध नहीं रहने के कारण यह योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/17/2013 1378 /राँची, दिनांक 14/12/13 /

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके पत्रांक **414**/वि०स०, दिनांक **09/12/2013** के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/12/13

सरकार के अवर सचिव
पर्यटन विभाग, झारखण्ड, राँची।

शर्मिष्ठा

(26)

श्री अरूण मण्डल, स०वि०स०, द्वारा दिनांक–16.12.2013 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–टन 03 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री पर्यटन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		मा० मंत्री, पर्यटन विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज के धार्मिक एवं पर्यटन के दृष्टिकोण से माँ वैष्णी स्थान, जो गंगा किनारे अवस्थित है तथा हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं तथा माँ वैष्णी की पूजा–अर्चना करते है ;	1.	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि प्रतिदिन लगभग 20 एवं मंगलवार तथा शनिवार को सैकड़ो श्रद्धालुओं द्वारा पूजा–अर्चना किया जाता है। जमीन असर्वेक्षित एवं रैयती है। प्रतिदिन स्थानीय श्रद्धालु पूजा कर चले जाते हैं।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त स्थान पर पर्यटनीय सुविधा तथा सौन्दर्यीकरण नहीं होने के कारण श्रद्धालुओं को कटिनाईयाँ हो रही है ;	2.	सुविधा में मंदिर निर्मित है। स्थल के निकट हैण्ड पम्प है।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार श्रद्धालुओं के लिए विश्राम गृह, पूजा–स्थल का सौन्दर्यीकरण तथा निर्माण कराना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	3.	पर्यटकों की संख्या को देखते हुए यह योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/20/2013 1374 /राँची, दिनांक 14/12/13 /

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके पत्रांक 382/वि०स०, दिनांक 09/12/2013 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/12/13

सरकार के अवर सचिव
पर्यटन विभाग, झारखण्ड, राँची।

शर्मिष्ठा

(27)

श्री पौलुस सुरीन, स०वि०स०, द्वारा दिनांक – 16.12.2013 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या – टन 04 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री पर्यटन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		मा० मंत्री, पर्यटन विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि खूँटी जिला के कर्रा प्रखण्ड में खिस्तान डेरा विलसेरेंग (डूमरागाड़ी) जो 1857 से धार्मिक स्थल पर एक फरवरी को लाखों की संख्या में धार्मिक श्रद्धालु मेला में उपस्थित हो अपनी मनोकामनाएँ पूर्ति करते है ;	1.	आंशिक स्वीकारात्मक। हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते है।
2.	यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त स्थान को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	2.	वस्तुस्थिति यह है कि I. प्रश्नाधीन स्थल की भूमि वन भूमि के अन्तर्गत आता है। II. पहुँच पथ 2.5 कि०मी० तक कच्चा है। अतः यह योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन विभाग

झापांक–पर्यटन / वि०स० / 16 / 2013 1375 / राँची, दिनांक 14.12.2013 / ,

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके पत्रांक **384** / वि०स०, दिनांक **09 / 12 / 2013** के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/12/13

सरकार के अवर सचिव
पर्यटन विभाग, झारखण्ड, राँची।

अनुपूरक

(28)

श्री बन्ना गुप्ता, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–16.12.2013 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०–ग–05 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि जमशेदपुर में पूर्व में पुलिस विभाग एवं उनके परिजनों के ईलाज की सुविधा टाटा मुख्य अस्पताल में थी, जिसे वर्तमान में बंद कर दी गई है ;	स्वीकारात्मक
2	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पुनः पुलिस विभाग के चिकित्सा व्यवस्था की सुविधा टाटा मुख्य अस्पताल में दिये जाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा टाटा मेमोरियल अस्पताल, जमशेदपुर को कैंसर रोग के ईलाज हेतु अधिसूचित किया गया है। जिसके आलोक में कैंसर ईलाज हेतु पुलिस एवं उनके परिजनों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। अन्य बिमारियों के ईलाज हेतु तभी सुविधा उपलब्ध हो सकती है जब उक्त अस्पताल को कैंसर के अलावा अन्य बिमारियों के ईलाज हेतु स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा अधिसूचित किया जाय।

झारखण्ड सरकार,
गृह विभाग।

ज्ञापांक–16 / वि०स०–09 / 2013 7357 / राँची, दिनांक–15/12/2013 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/12/13

सरकार के उप सचिव।

(30)

श्री बन्ना गुप्ता, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा चालू द्वादश (शीतकालीन) सत्र में दिनांक 16.12.2013 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या– 01 का उत्तर

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में बैकों की सी0डी0 अनुपात बहुत ही दयनीय है ?	अस्वीकारात्मक है । 30.09.2013 को राज्य का C.D. Ratio 56.18% है, जो राष्ट्रीय मानक 60% से कुछ ही कम है ।
2.	क्या यह बात सही है कि बैंकों द्वारा आम लोगों एवं उच्चतर शिक्षा हेतु युवाओं को बैंकों द्वारा ऋण नहीं दिए जाने से स्थानीय लोगों को बैंकों का लाभ नहीं मिल रहा है ?	अस्वीकारात्मक है । बैंकों द्वारा राज्य में 01.04.2013 से 30.09.2013 के दौरान 6713 व्यक्तियों को 146 करोड़ 75 लाख शिक्षा ऋण दिया गया है तथा इस योजना के अन्तर्गत बैंकों का 30.09.2013 के दिन कुल 56978 व्यक्तियों पर 1981 करोड़ 67 लाख शिक्षा ऋण बकाया (outstanding) है ।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्यों में सरलता से बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश देने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	कंडिका– 1 एवं 2 के आलोक में प्रश्न नहीं उठता है ।

झारखण्ड सरकार
सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग

ज्ञापांकःसां0वि0प्रश्न–46 / 2013 894 / **राँची, दिनांक** 14/12/2013 /

प्रतिलिपि– उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को प्रश्नोत्तर की 200 प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

14/12/13

(के0 के0 सिन्हा)
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

Question

(31)

माननीय स0वि0स0, श्री सत्यानन्द झा द्वारा दिनांक– 16.12.2013 पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या– का0–01 का उतर प्रतिवेदन

क्र0	प्रश्न	उत्तर
01	क्या यह बात सही है कि जामताड़ा जिले के नाला विधान–सभा क्षेत्र के अन्तर्गत भुंया घटवाल जाति के बहुसंख्यक लोग रहतें है;	स्वीकारात्मक।
02	क्या यह बात सही है कि उक्त जाति के लोगों को सरकारी स्तर पर किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिलने के कारण पढ़ाई लिखाई, खेती, अनुदान आदि सुविधा से वंचित होना पड़ता है;	अस्वीकारात्मक।
03	क्या यह बात सही है कि समुचित सुविधा नहीं मिलने के कारण उक्त जाति का विकास नहीं हो पा रहा है और गरीबी के कारंण जीवन स्तर में काफी गिरावट आ रही है;	अस्वीकारात्मक।
04	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जनहित में भुंया घटवाल जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा देने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब, तक नहीं तो क्यों ?	भुँईया जाति के रूप में झारखण्ड राज्य की अनुसूचित जाति की सूची के क्रमांक–4 पर अंकित है। घटवार जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के सम्बन्ध में मंत्रिमंडल द्वारा लिये गये निर्णय (दिनांक– 23.11.2004) के आलोक में विभाग द्वारा भारत सरकार को अनुशंसा प्रेषित की गयी थी। भारत सरकार द्वारा इस जाति के संबंध में विहित प्रपत्र में इथनोग्राफिक विवरण की माँग की गई। झारखण्ड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान से प्राप्त इथनोग्राफिक विवरण में मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुकूल मंतव्य अंकित नहीं किया गया, अतएव इस पर कल्याण विभाग से मंतव्य प्राप्त किया गया। कल्याण विभाग द्वारा भी जनजातीय कल्याण शोध संस्थान के मंतव्य पर सहमति व्यक्त की गई। उक्त स्थिति में इस पर पुर्नविचार हेतु मंत्रिमंडल के समक्ष रखा गया। मंत्रिमंडल की बैठक (दिनांक–17.02.2012) में लिए गये निर्णय के आलोक में 'घटवार' जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने के संबध में पुनः अध्ययन कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु झारखण्ड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान को पत्र प्रेषित कर अनुरोध किया गया। (विभागीय पत्रांक– 1941 दिनांक–27.02.2012) झारखण्ड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान से घटवार जाति के सम्बन्ध में प्राप्त अद्यतन प्रतिवेदन में इस जाति को भुइया मानते हुए **अनुसूचित जाति** में रखने की अनुशंसा प्राप्त हुई है। 'घटवार'' जाति को अनुसूचित जनजाति घोषित करने के लिए माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर है। इसमें वर्णित तथ्यों के आलोक में शपथ पत्र/पूरक शपथ–पत्र दायर किया जा चुका है। माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय सम्प्रति प्रतीक्षारत है।

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14/झा0वि0स0–07–08/2013 का०–12083./रांची, दिनांक 14/12/13

प्रतिलिपि–दो सौ प्रतियों में उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप सं0–238 दिनांक–06.12.2013 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/12/13

(प्रमोद कुमार तिवारी)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–14/झा0वि0स0–07–08/2013 का०–12083/रांची, दिनांक 14/12/13

प्रतिलिपि–उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, रांची तथा अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–11, कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/12/13

सरकार के उप सचिव।

(33)

श्री गुरूचरण नायक, स०वि०स०, द्वारा दिनांक–16.12.2013 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–टन 01 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री पर्यटन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		मा० मंत्री, पर्यटन विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत पर्यटन विभाग के ओर से गोईलकेरा महादेव शाल में पर्यटन भवन निर्माण करने हेतु राशि स्वीकृति प्रदान की गई है ;	1.	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त भवन निर्माण हेतु एक साल पहले निविदा भी हो चूकी तथा निर्माण कार्य नहीं हो पायी है ;	2.	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि जमीन की आवंटन के कारण पर्यटन भवन का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सकी हैं।	3.	स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारत्मक है तो क्या सरकार उक्त पर्यटन भवन का निर्माण करना चाहती है। यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	4.	प्रश्नाधीन स्थल के ईद–गिर्द वन भूमि रहने के कारण योजना का कार्यान्वयन नहीं हो पा रहा है।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/11/2013 1372 /राँची, दिनांक 14/12/13 /

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके पत्रांक **237**/वि०स०, दिनांक **06/12/2013** के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव
पर्यटन विभाग, झारखण्ड, राँची।

शर्मिष्ठा

शर्मिष्ठा

(34)

श्री कमलेश उराँव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 16.12.2013 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या– 06 का प्रश्नोत्तर

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1.	क्या यह बात सही है, कि गुमला जिला अन्तर्गत चैनपुर प्रखण्ड में अनेक पद जैसे प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी बाल विकास पदाधिकारी, प्रखण्ड आपूर्त्ति पदाधिकारी, ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक तथा सांख्यिकी पर्यवेक्षक आदि महत्वपूर्ण पद रिक्त है,	अस्वीकारात्मक। उल्लेखनीय है कि अंचल अधिकारी–सह–प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चैनपुर के पद पर श्री द्वारका बैठा सम्प्रति प्रखण्ड विकास पदाधिकारी–सह–अंचल अधिकारी, राजनगर गोविन्दपुर (सरायकेला–खरसावाँ) को विभागीय अधिसूचना सं0– 6173 दिनांक 08.07.2013 द्वारा पदस्थापित किया गया है। लेकिन उन्होंने अभी तक योगदान नहीं किया है। अतः स्थानीय व्यवस्था के तहत् श्री तेज कुमार हस्सा, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अल्बर्ट एक्का, जारी को प्रखण्ड विकास, चैनपुर एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, चैनपुर का प्रभार दिया गया है तथा श्री रतन कुमार सिंह, अंचल अधिकारी, डुमरी को अंचल अधिकारी, चैनपुर का प्रभार दिया गया है। प्रखण्ड आपूर्त्ति पदाधिकारी, चैनपुर के पद पर मो0 जाहिद हुसैन कार्यरत है तथा ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक का प्रभार श्री सोबन सिंह, लागुंरी, प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी, चैनपुर को एवं सांख्यिकी पर्यवेक्षक का प्रभार श्री विपीन किशोर कण्डुलना प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, चैनपुर को दिया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड 1 में वर्णित पदों के रिक्त होने से स्थानीय जनता के महत्वपूर्ण कार्य का संपादन नहीं हो रही है,	स्थानीय व्यवस्था के तहत् सभी कार्य का निष्पादन कराया जा रहा है, अतः स्थानीय जनता के महत्वपूर्ण कार्य का सम्पादन सही ढ़ग से हो रहा है।
3.	यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो, क्या सरकार जनहित में खण्ड 1 में वर्णित पदों पर यथा शीघ्र पदस्थापन का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका 1 एवं 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक– 2(4)/विधानसभा–09–06/2013 का॰ 12080/ राँची, दिनांक 14 दिसम्बर, 2013

प्रतिलिपि – उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं0– 390 वि.स. दिनांक 09.12.2013 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/12/13
(सरोज श्रीवास्तव)
सरकार के विशेष सचिव।

(35)

श्री उमाशंकर अकेला, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–16.12.2013 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०–ग–02 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिलान्तर्गत बरही थाना श्री राजीव कुमार वीर, दिनांक–25.06.2013 को बरही थाना प्रभारी के रूप में पदस्था हुए है ;	स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि इनके कार्यकाल में लूट की संख्या (2) चोरी की संख्या (14) हत्या की संख्या (4) डकैती की संख्या (2) अपहरण की संख्या (3) बरही थाना कांड से अंकित है ;	दिनांक–25.06.2013 से 12.12.2013 तक हत्या–03, डकैती–02, लूट–02, चोरी–21, अपहरण–03 कांड दर्ज हुए है।
3	क्या यह बात सही है कि थाना क्षेत्र के ग्रामिणों से इनका व्यवहार असामान्य है ;	इस तरह की कोई शिकायत कार्यालय के संज्ञान में दर्ज नही है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जाँच कर निलम्बन तथा स्थानांतरण की कार्रवाई करने का विचार रखी है, यादि हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	01 डकैती कांड का उद्‌भेदन करते हुए 4,75000.00 रूपये का बरामदगी हुई है। जिसमें अप्राथमिकी 8 अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अपहरण के दो कांडों में दोनों अपहृत की बरामदगी हो चुकि है। अपराध नियंत्रण हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बरही एवं पुलिस निरीक्षक, बरही अंचल को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है।

झारखण्ड सरकार,
गृह विभाग।

ज्ञापांक–15/वि०स०–05/2013–7349/ राँची, दिनांक–15/12/2013 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/12/13
सरकार के उप सचिव।

(36)

श्री नवीन जयसवाल, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–16.12.2013 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०–ग–15 का उत्तर प्रविवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य की विधि व्यवस्था बनाये रखने में गृह रक्षा वाहिनी का अहम योगदान रहता है ;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि पुलिस बलों की नियोजन में गृह रक्षकों को 50 फीसदी आरक्षण दिये जाने की माँग बहुत पुराना है ;	इस संबंध में गृह विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प सं०–718, दिनांक–19.02.2009 द्वारा आदेश निर्गत है।
3	क्या यह बात सही है कि वर्तमान में गृह रक्षकों को 200 रूपये प्रतिदिन की हिसाब से मानदेय मिलता है जबकि इन्हें 600 रूपये प्रतिदिन की हिसाब से मानदेय देने की बात थी ;	स्वीकारात्मक है। गृह रक्षकों के वर्त्तमान मानदेय दर में वृद्धि किये जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार गृह रक्षकों को पुलिस बल की नियुक्ति में 50 फीसदी आरक्षण देने एवं इनकी वर्तमान मानदेय 200 रूपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 600 रूपये करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	कंडिका 2 और 3 में स्थिति स्पष्ट है।

झारखण्ड सरकार,
गृह विभाग।

ज्ञापांक–7/वि०स०–39/2013-7335/ राँची, दिनांक–14/12/2013 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/12/13

सरकार के उप सचिव।

(37)

श्री कमलेश उराँव, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 16.12.2013 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–य–02 की उत्तर सामग्रीः–

क0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि गुमला जिला आदिवासी पिछड़ा बहुल क्षेत्र है, यहाँ विकास का घोर अभाव है ?	गुमला जिला आदिवासी बहुल क्षेत्र है। जनगणना 2011 के अनुसार गुमला जिला की कुल जनसंख्या 10.25 लाख है, जिसमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 7.67 लाख है, जो कुल आबादी का 69% है। यहाँ समेकित जनजाति विकास अभिकरण, कल्याण विभाग एवं अन्य विभागों द्वारा विकास की योजनाएँ चलायी जा रही है।
2.	क्या यह बात सही है कि गुमला जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्र में विकास हेतु कारगर योजना नहीं बनाया गया ?	उपायुक्त, गुमला ने अपने पत्रांक–986 (ii)/ गोपनीय दिनांक 13.12.2013 के द्वारा सूचित किया है कि अनुसूचित जनजातियों के हित में कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची द्वारा स्वीकृत प्रोटोटाईप योजना के तहत जल संचयन, सिंचाई एवं भूमि विकास, बागवानी एवं ईमारती लकड़ी योजना, बकरी पालन, मुर्गीपालन एवं बिरसा आवास योजना का कार्यान्वयन जनजातियों के विकास हेतु ITDS गुमला के माध्यम से विभिन्न प्रखण्डों में कराया जा रहा है। कल्याण विभाग गुमला के द्वारा आदिम जन जनजातियों के विकास के लिए C.C.D. (Conservation cum development Plan), अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में अल्पसंख्यक (इसाई) के लिए MSDP (Multi Sectoral Development Program), अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए Article-275 (i) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त निधि से योजनाएँ चलायी जाती है। Skill Development का भी कार्यान्वयन किया जा रहा है। गुमला जिलान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए मनरेगा के तहत वार्षिक कार्य योजना तैयार की गई है एवं योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है।
3.	क्या यह बात सही है कि योजना राशि का सही उपयोग नहीं हो पाने से गुमला में पलायन एवं बेरोजगारी बढ़ा है ?	उपायुक्त, गुमला के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि चल रही विकास योजनाओं के कारण बेरोजगारी एवं पलायन घटा है। इस संबंध में आंकड़ों की जानकारी श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग से प्राप्त की जा रही है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गुमला जिला के विकास हेतु विशेष योजना बनाने की विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	राज्य के सभी आदिवासी बहुल जिलों के लिए योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में अलग से गुमला जिला के लिए कोई योजना चलाने की आवश्यकता नहीं है।

झारखण्ड सरकार
योजना एवं विकास विभाग

ज्ञापांक–1858 राँची, दिनांक 15/12/13

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0–378 दिनांक 09.12.2013 के आलोक में 200 (फोटो प्रति) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15/12/13

सरकार के संयुक्त सचिव